तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/3603/2005/भीलवाडा भैंरूलाल वगैरहा बनाम अब्दुल सलाम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित–
श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 08–12–2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 225 के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 31–08–2020 के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया।

उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2005 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाडा) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–04–2004 को बहाल रखा जाता है। आलोच्य निष्पादित राजीनामे को इस निर्णय का भाग समझा जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/3603/2005/भीलवाडा भैंरुलाल वगैरहा बनाम अब्दुल सलाम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संबंधित अहलमद को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार हस्तगत मामले में डिक्री जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य** **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य**	